राजस्थान सरकार
राजस्व(ग्रुप-6)विभाग

कमांक प. 10(8)राज-6/2001/6 जयपुर, दिनांकः- 28.3.2007

समस्त जिला कलेक्टर,
राजस्थान।

परिपत्र

राज्य सरकार की जानकारी में आया है कि राजस्थान भू-राजस्व (औद्योगिक प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1959 के तहत भूमि आवंटन तथा राजस्थान भू-राजस्व(ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि से अकृषि प्रयोजनार्थ भूमि संपरिवर्तन) नियम, 1992 के तहत भूमि संपरिवर्तन के प्रकरणों में ढाणी व मजरे से दूरी नापकर आवंटन/संपरिवर्तन की कार्यवाही की जा रही है, जो नियमानुसार नहीं है।

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 2(5) में गांव को निम्न प्रकार से परिभाषित किया गया है:-

"गांव से अभिप्राय उस भूमि-खण्ड से होगा जो गांव के रूप में मान्यता प्राप्त हो व अभिलिखित हो चुका हो तथा एतद् पश्चात् गांव के रूप में मान्यता प्राप्त व अभिलिखित हो।"

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 2(5) में दी गई परिभाषा में गांव से तात्पर्य राजस्व ग्राम से है जो राजस्व ग्राम के रूप में अधिसूचित हो।

अतः स्पष्ट किया जाता है कि भविष्य में राजस्थान भू-राजस्व (औद्योगिक प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1959 के तहत संशोधन अधिसूचना दिनांक 12.9.2003 के द्वारा 2-बी(ii) के तहत तथा राजस्थान भू-राजस्व(ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि से अकृषि प्रयोजनार्थ भूमि संपरिवर्तन) नियम, 1992 के नियम 4(ग) में किये गये संशोधन की अधिसूचना दिनांक 12.9.2003 के तहत 1.5 (डेढ) किलोमीटर की दूरी का तात्पर्य राजस्व ग्राम की आबादी की बाहरी सीमा, न कि उस ग्राम की ढाणी या मजरे की आबादी की बाहरी सीमा से है। तद्नुसार ही औद्योगिक प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन/ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि से अकृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन के प्रस्तावों की स्वीकृति पर विचार सक्षम अधिकारी द्वारा किया जावे। यदि राज्य सरकार औद्योगिक प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन/ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि से अकृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन हेतु सक्षम है तो प्रस्ताव स्वीकृति हेतु मय टिप्पणी के राज्य सरकार को भिजवाये जावें।

28/3/2007
(के.जी. अग्रवाल)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
2. निबन्धक, राजस्व मण्डल, राजस्थान, अजमेर।
3. विशिष्ठ सहायक, माननीय राजस्व मंत्री महोदय।

28/3/07
शासन उप सचिव